

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 1009 /FP/UKROAD/26820/2017 :देहरादून:दिनांक: 5 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),  
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद उधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-74 के कि०मी० 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड के शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 14.856 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— भारत सरकार की पत्र संख्या 08बी/यू०सी०पी०/06/125/2018/एफ०सी०/110 दिनांक 20-04-2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है:—

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 15.00 है० ग्राम-दुद्यलादयालवाला भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव रू० 55,72,900.00 जमा किया गया है। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के अद्यावधिक आदेशानुसार एन०पी०वी० की देय धनराशि रूपये 1,39,49,784.00 वन विभाग के पक्ष के जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू० 1,95,22,684.00 तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराये जाने के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Strip Plantation हेतु वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,  
L. M. Sharma  
(डी०जे०के० शर्मा) 5/10/20  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :- /FP/UKROAD/26820/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, ए०डी०बी०, लो०नि०वि०, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर।

(डी०जे०के० शर्मा)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी